क्रम-संख्या-4

संख्या-7/3—78-कार्मिक-1/1980

प्रेषक,

श्री राम बहादुर सक्सेना,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 12 अगस्त, 1980

विषय:— सरकारी कर्मचारियों के निलम्बन से संबंधित मामलों का शीघ्र निस्तारण।

महोदय,

सरकारी सेवकों के निलम्बन के मामलों को शीघ्रता तथा न्यायसंगत तरीके से निस्तारित किये जाने के संबंध में पार्श्वांकित आदेश जारी किये जा चुके हैं। खेद है कि इतनी सुस्पष्ट व्यवस्थाओं के बावजूद अक्सर अनेक मामले शासन की जानकारी में आते हैं जिनमें निलम्बन की अवधि वर्षों तक बरकरार रहती है, विशेषतः उन मामलों में जिनमें विजिलेंस अथवा सी० आई डी० द्वारा ट्रेप की कार्यवाही की जाती है और इन जांचकर्ताओं द्वारा मामला न्यायालय को सौंपा जाता है। ट्रेप से संबंधित जांच कार्यवाहियों में वर्षों की अवधि का लगना असन्तोषजनक है। न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी यह मामले वर्षों तक चलते रहते हैं जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों को वर्षों तक निलम्बन में बने रहना पड़ता है जिसे जनहित या प्रशासन के हित में औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ऐसी लंबी अवधि लेने वाली प्रक्रियाओं के फलस्वरूप अन्ततः दोषी व्यक्ति को बहुत देर में दण्ड मिलता है तथा अन्ततः निर्दोष पाये जाने वाले कर्मचारी के मनोबल पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ही है उन्हें घोर आर्थिक तथा मानसिक कष्ट का भी सामना करना पड़ता है। अतः इस संबंध में पार्श्वांकित शासनादेश के क्रम में शासन के निम्न निर्णय से आपको अवगत कराते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि तदनुसार तात्कालिक कार्यवाही कृपया सुनिश्चित करें:—

संख्या-7/2/78-कार्मिक—1, दिनांक 18 जुलाई, 1979

1— जिन मामलों में ट्रेप के तत्काल बाद अधिकारी/कर्मचारी का निलम्बन किया जाता है और ट्रेप की तिथि से 6 महीने के अंदर चार्जशीट न्यायालय में नहीं प्रस्तुत की जाती है तो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी का निलम्बन कायम रखने के औचित्य के बारे में विभागीय सचिव, विभागाध्यक्ष एवं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण किया जाये तथा निर्णय लिया जाये। यदि सेवा में बहाली का औचित्य न पाया जाए, जैसे कि यदि चार्जशीट न्यायालय में देर से आनेपर जांच कार्यवाही शीघ्र पूरी न होने देने के लिये संबंधित कर्मचारी स्वयं जिम्मेवार हों आदि, तो कारण देते हुए यह समीक्षा सुस्पष्ट निर्णय ऐसी समीक्षा के बाद लें। प्रत्येक 6 माह की समाप्ति पर ऐसे मामलों का पुनरीक्षण अवश्य ही किया जाना चाहिये।

2— ट्रेप के अतिरिक्त अन्य निलम्बन के मामलों का पुनरीक्षण भी प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई में किया जाए।

(अ) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल हैं उनके निलम्बन के मामलों का पुनरीक्षण न्याय सचिव, विभागीय सचिव तथा विभागीय सचिव तथा विभागाध्यक्ष की समिति द्वारा किया जाए। इस समिति की बैठक विभागाध्यक्ष, विभागीय सचिव के परामर्श पर आयोजित करेंगे।

(ब) अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में जिनके नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल नहीं है, निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है:—

(क) निलम्बन के ऐसे मामले जो विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी की हैसियत से किये जाते हैं, उनका छमाही पुनरीक्षण विभागाध्यक्ष स्वयं करेंगे तथा विभागीय सचिव को पुनरीक्षण के परिणाम से अवगत करायेंगे।

(ख) निलम्बन के ऐसे मामले जिनमें नियुक्ति प्राधिकारी मण्डल स्तर के अधिकारी हों, उनका पुनरीक्षण कराने का दायित्व मंडलीय स्तर के नियुक्ति प्राधिकारी पर होगा और वह छमाही पुनरीक्षण के परिणाम से मंडलायुक्त को अवगत करावेंगे।

(ग) निलम्बन के ऐसे मामले नियुक्ति प्राधिकारी जिला स्तरीय प्राधिकारी हैं उनसे संबंधित समस्त मामलों में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष अथवा नियुक्ति प्राधिकारी पुनरीक्षण की कार्यवाही करेंगे तथा पुनरीक्षण के छमाही परिणाम से जिलाधिकारी को अवगत करायेंगे।

3— कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय,
राम बहादुर सक्सेना,
मुख्य सचिव।

संख्या—7(1)/3-78-कार्मिक-1-1980, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा पथ प्रदर्शनार्थ प्रेषित:—

1— समस्त सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2— समस्त संयुक्त सचिव तथा उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3— समस्त संयुक्त सचिव तथा उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5— निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6— सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
7— मंत्रियों के निजी सचिवों को मंत्री महोदय के सूचनार्थ।
8— सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
सैयद मेंहदी हसन रिजवी,
सचिव।